रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15022024-252113
CG-DL-E-15022024-252113

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 14, 2024/माघ 25, 1945
No. 39] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 14, 2024/MAGHA 25, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2024

सं. 43/2023

विषयः प्रक्रिया पुस्तक 2023 के पैरा 2.51 में संशोधन से संबंधित।

फा.सं. 01/89/180/53/एएम–01/पीसी–II(ख)/ई–2382.—समय–समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा अदानी गंगावरम पत्तन को जहां से स्क्रैप का आयात होगा नामित समुद्री पत्तनों की सूची में शामिल कर प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी), 2023 के पैरा 2.51 (घ) (iv) में संशोधन करते हैं। इसके अतिरिक्त अदानी गंगावरम पत्तन को समुद्री पत्तनों की सूची में शामिल कर एचबीपी के पैरा 2.51 (घ)(v)(iv) को भी संशोधित किया गया है, जहां सुरक्षित देशों/क्षेत्रों से आने वाले धातु अपषिष्ट और स्क्रैप के आयात के मामले में पूर्व पोत लदान निरीक्षण प्रमाण पत्र (पीएसआईसी) से छूट दी गई है।

2. प्रकिया पुस्तक, 2023 का संशोधित उप–पैरा 2.51 इस प्रकार पढ़ा जाएगा **(किए गए परिवर्तन मोटे अक्षरों में हैं)**:

प्रकिया पुस्तक का संशोधित पैरा 2.51 (घ)(iv): स्क्रैप का आयात केवल निम्नलिखित नामित पत्तनों के माध्यम से होगा और ईओयू, एसईजेड के मामले में भी किसी छूट की अनुमति नहीं दी जाएगीः– 1. चेन्नई 2. कोचीन 3. एन्नोर 4. जेएनपीटी 5. कांडला 6. मोरमुगाआ, 7. मुम्बई 8. न्यू मैंगलोर 9. पारादीप, 10. तूतीकोरिन 11. विशाखापत्तनम, 12. पिपावा 13. मुंद्रा 14. कोलकाता 15. कृष्णापट्टनम 16. कट्टूपल्ली 17. हजीरा 18. कामराजार **और 19. अदानी गंगावरम।**

प्रक्रिया पुस्तक का संशोधित पैरा सं. 2.51 (घ)(v)(iv): उद्गम देश से धात्विक अपशिष्ट और स्क्रैप की आयात खेपें पूर्व पोत लदान निरीक्षण प्रमाण पत्र (पीएसआईसी) के अधीन होंगी। तथापि, सुरक्षित देषों/क्षेत्र अर्थात यूएसए, यूके, कनाड़ा,

न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ से आयातित धात्विक अपशिष्ट और स्क्रैप (खंडित और अखंडित दोनों) हेतु पीएसआईसी की आवश्यकता नहीं होगी यदि खेप को **ग्यारह (11)** पत्तनों नामतः चेन्नई, तूतीकोरिन, कांडला, जेएनपीटी, मुम्बई, कृष्णापट्टनम, मुंद्रा, कट्टूपल्ली, हजीरा, कामराजार और **अदानी गंगावरम पत्तन** से निकासी दी गई है। इन छह देशों/क्षेत्रों से खेप के साथ आपूर्तिकर्ता/स्क्रैप यार्ड प्राधिकारी से इस आषय का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा कि इसमें कोई भी रेडियोधर्मी सामग्री/विस्फोटक शामिल नहीं है। तथापि यह इन पत्तनों पर पोर्टल मानीटर और कंटेनर स्कैनर के माध्यम से विकिरण और विस्फोटक जांच के अधीन होगा। इन देशों/क्षेत्रों के माध्यम से ट्रांस–शिपमेंट की इस सुविधा से अनुमति नहीं दी जाएगी। **शेष आठ (08)** अन्य पत्तनों के माध्यम से आयात (खंडित और अखंडित स्क्रैप/अपशिष्ट दोनों हेतु) उद्गम देश को ध्यान में रखे बिना पीएसआईसी के अधीन होगा।

<u>इस सार्वजनिक सूचना का पभाव</u>:

06 सुरक्षित देशों/क्षेत्रों से बिना पीएसआईसी के धात्विक अपशिष्ट और स्क्रैप के आयात को अब **अदानी गंगावरम पत्तन** को शामिल कर कुल 11 नामित पत्तनों से अनुमति दी गई है। परिणामस्वरूप, समुद्री पत्तनों की कुल संख्या जहां स्क्रैप का आयात होगा, मौजूदा 18 से बढ़कर 19 हो गई है और प्रकिया पुस्तक, 2023 के पैरा 2.51 के तहत धात्विक अपशिष्ट और स्क्रैप के आयात के लिए पीएसआईसी छूट वाले पत्तनों की संख्या मौजूदा 10 से बढ़कर 11 हो गई है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 14th February, 2024

No. 43 /2023

Subject: Amendment in Para 2.51 of Handbook of Procedures, 2023-reg.

F.No. 01/89/180/53/AM-01/PC-II(B)/E-2382).—In exercise of powers conferred under para 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2023, as amended from time to time, the Directorate of General Foreign Trade hereby amend Para 2.51 (d)(iv) of the Handbook of Procedures (HBP), 2023 by inserting Adani Gangavaram Port to the list of designated sea ports from where import of scrap would take place. Further Para 2.51 (d)(v)(iv) of HBP is also amended by inserting Adani Gangavaram Port to the list of sea ports where Pre- Shipment Inspection Certificate (PSIC) is exempted in case of import of metallic waste and scrap coming from safe countries/region.

2. The amended sub-para 2.51 of the HBP, 2023 will read as under (**changes made are in bold letters**):

Amended Para 2.51 (d)(iv) of HBP: Import of scrap would take place only through following designated ports and no exceptions would be allowed even in case of EOUs, SEZs: - 1. Chennai 2. Cochin 3. Ennore 4. JNPT 5. Kandla 6. Mormugao 7. Mumbai 8. New Mangalore 9. Paradip 10. Tuticorin 11. Vishakhapatnam 12. Pipava 13. Mundra 14. Kolkata 15. Krishnapatnam 16. Kattupalli 17. Hazira 18. Kamarajar **and 19. Adani Gangavaram**.

Amended Para 2.51 (d)(v)(iv) of HBP: Import consignments of metallic waste and scrap shall be subject to pre-shipment inspection certificate (PSIC) from the country of origin. However, metallic waste and scrap (both shredded and unshredded) imported from safe countries / region i.e., the USA, the UK, Canada, New Zealand, Australia and the EU will not require PSIC if consignments are cleared through **eleven (11)** ports namely, Chennai, Tuticorin, Kandla, JNPT, Mumbai, Krishnapatnam, Mundra, Kattupalli, Hazira, Kamarajar and **Adani Gangavaram Port**. Consignments from these six countries / regions will be accompanied by certificate from the supplier / scrap yard authority to the effect that it does not contain any radioactive materials / explosives. These will however be subject to radiation and explosive checks through portal monitors and container scanner at these ports. Trans-shipments through these countries / regions will not be allowed this facility. Import through **remaining eight (08)** other ports (for both shredded and unshredded scrap / waste), irrespective of country of origin, will be subject to PSIC.

<u>Effect of this Public Notice:</u>

Import of metallic waste and scrap from 06 safe countries / region without PSIC is now permitted from 11 designated ports including through **Adani Gangavaram Port**. As a result, the total numbers of sea ports where import of scrap would take place have been increased from existing 18 to 19 and PSIC exempted sea ports have increased from existing 10 to 11 for import of metallic waste and scrap under Para 2.51 of HBP, 2023.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA